थाना जरीफनगर पुलिस द्वारा पुराने मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में फायरिंग की घटना के सम्बन्ध में 02 वांछित अभि0गण को घटना में प्रयुक्त भाला/लाठी सहित गिरफ्तार किया गया।

दिनाँक 22.02.2023 को थाना क्षेत्र के ग्राम आरिफपुर भगता नगला थाना जरीफनगर जनपद बदायूँ में दो पक्षों के मध्य पुरानी मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर फायरिंग व झगड़ा हुआ था। जिसमें बीरपाल पक्ष के सतेन्द्र पुत्र कल्याण व जयप्रकाश पुत्र महीपाल व हरिओम पुत्र जगदीश की मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में दिनाँक 22.02.2023 को ही थाना स्थानीय पर बीरपाल पुत्र महिपाल निवासी ग्राम आरिफपुर भगता नगला थाना जरीफनगर जनपद बदायूँ द्वारा दाखिला लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 71/2023 धारा 147,148,149,307,302,323,504 भादवि व 7 CLA Act बनाम दलवीर आदि आदि पंजीकृत होकर विवेचना प्रभारी निरीक्षक जरीफनगर श्री मनोज कुमार द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गयी। घटना की गम्भीरता व संवेदनशीलता के दृष्टिगत उच्च अधिकारी गण श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली, श्रीमान जिलाधिकारी बदायूँ महोदय, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय, उपजिलाधिकारी सहसवान महोदय, क्षेत्राधिकारी सहसवान महोदय आदि के द्वारा मौके का जायजा लिया गया था एवं घटना की गम्भीरता व संवेदनशीलता के दृष्टिगत उच्च अधिकारी गण द्वारा प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारी गण द्वारा अभियुक्त गण की अतिशीघ्र गिरफ्तारी व कार्यवाही हेतु टीम गठित कर मुझ प्रभारी निरीक्षक को विशेष दिशा निर्देश दिये गये थे। जिनके क्रम में नामित वाँछित अभियुक्त गण 1- पप्पू पत्र चोब सिंह व 2- नरेश पुत्र भूरे निवासी गण ग्रा0 आरिफपुर भगता नगला थाना जरीफनगर जनपद बदायूँ को गिरफ्तार कर दिनाँक 28.02.2023 को मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

उसी क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ के निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बदायूँ के नेतृत्व व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सहसवान के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 28.02.2023 को त्वरित कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 71/2023 धारा 147,148,149,307,302,323,504 भादवि व 7 CLA Act में नामित वाँछित अभियुक्त गण पप्पू पत्र चोब सिंह व नरेश पुत्र भूरे निवासी गण ग्रा0 आरिफपुर भगता नगला थाना जरीफनगर जनपद बदायूँ को मुखबिर की सूचना पर ग्राम मौरूबाला से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण के विरुद्ध कठेर से कठोरतम कानूनी कार्यवाही करायी जा रही है व शेष अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

पूछताछ अभियुक्त गण अभियुक्त गण ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए पुराने मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में फायरिंग की घटना कारित करना बताया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण

पप्पू पुत्र चोब सिंह निवासी ग्राम आरिफपुर भगता नगला थाना जरीफनगर बदायूँ जुर्म धारा 147,148,149,307,302,323,504 भादवि व 7 CLA Act व 4/25 ए एक्ट

नरेश पुत्र भूरे निवासी ग्राम आरिफपुर भगता नगला थाना जरीफनगर बदायूँ को जुर्म धारा 147,148,149,307,302,323,504 भादवि व 7 CLA Act में

बरामदगी का विवरण

01. अभियुक्त पप्पू पुत्र चोब सिंह उपरोक्त की निशा देही पर घटना में प्रयुक्त भाला बरामद किया गया

02. अभियुक्त नरेश उपरोक्त की निशा देही पर घटना में प्रयुक्त लाठी की बरामद करायी गयी

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार थाना जरीफनगर बदायूँ
2. उ0नि0 कृष्णपाल सिंह थाना जरीफनगर बदायूँ,
3. ऊर्दू अनुवादक नजबुल हसन थाना जरीफनगर बदायूँ
4. का0 355 अजीत कुमार थाना जरीफनगर बदायूँ,
5. का0 113 विनोद कुमार थाना जरीफनगर बदायूँ,
6. का0 1776 अंकित कुमार थाना जरीफनगर बदायूँ

सोशल मीडिया सैल

जनपद बदायूँ